अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

परिचय

यह अध्याय पूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा करता है, साथ ही यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णय निधि के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किए जाते हैं अथवा नहीं। इस अध्याय में टिप्पणियाँ विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और अनुदान-वार विनियोगों का विवरण तथा आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करता है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट का वार्षिक अभ्यास सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। बजट प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र के जारी होने (सामान्यत: प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितंबर में) के साथ शुरू होती है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करने में सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल हैं। इसमें एकरूपता बनाए रखने के लिए अनुमानों को तैयार करने के लिए नमूना प्रारूप भी शामिल रहता है। किसी राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया को नीचे चित्र में दिखाया गया है:

विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय वहन करने के लिए अनिवार्य शर्त है। अलग-अलग सरकारी विभागों का मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय नियम बनाए हैं और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए प्रावधान किया है जो व्यय की सीमा निर्धारित करते हैं और विनियोग और पुनर्विनियोग पर प्रतिबंध के साथ ऐसे व्यय को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत स्तर हैं।

पूरक अनुदानों के अलावा, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के भीतर निधियों के पुर्नआवंटन के लिए भी किया जाता है। पुनर्विनियोजन अनुदान के एक ही खण्ड (राजस्व-दत्तमत, राजस्व-भारित, पूँजीगत-दत्तमत, पूँजीगत-भारित) या भारित विनियोग के भीतर किसी अन्य इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक इकाई से बचत का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: बजट के अवयव

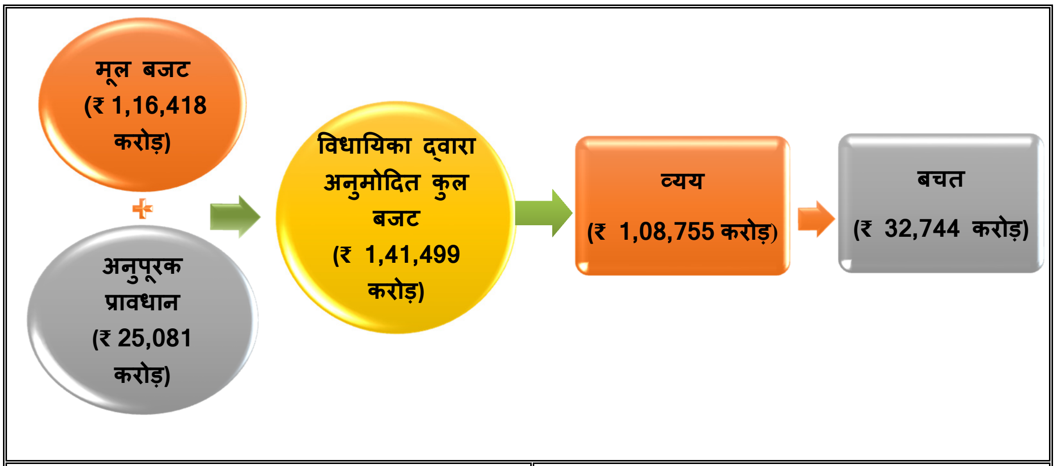

विधायिका द्वारा प्राधिकार	सरकार द्वारा कार्यान्वयन

स्रोत: विनियोग लेखे

विनियोगों की लेखापरीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि (i) क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार था (ii) यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के तहत भारित किए जाने की आवश्यकता थी, तो यह भारित किया गया है और (iii) इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों और विनियमों और निर्देशों के अनुरूप था।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य, जिसे आगे दत्तमत/भारित घटकों में विभाजित किया गया है, की सारांशीकृत स्थिति **तालिका 3.1** में दी गयी है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट		संवितरण		निवल बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(i) राजस्व	94,490.76	8,822.80	69,905.10	7,586.31	24,585.66	1,236.49
(ii) पूँजीगत	27,112.27	0.00	20,588.22	0.00	6,524.05	0.00
(iii) ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समायोजन	4,442.06	6630.90	4,290.80	6,384.01	151.26	246.89
कुल	**1,26,045.09**	**15,453.70**	**94,784.12**	**13,970.32**	**31,260.97**	**1,483.38**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 52 दत्तमत अनुदानों एवं छः विनियोगों में ₹ 25,822.15 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत 40 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 6,922.20 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 32,744.35 करोड़ (कुल बजट का 23.14 प्रतिशत) था। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 268.02 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

आगे, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल बचत ₹ 32,744.35 करोड़ में से ₹ 22,386.79 करोड़ की बचत 10[1] अनुदानों के अंतर्गत हुई, जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए। आगे, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान इन अनुदानों में कुल सतत बचत ₹ 11,975.09 करोड़ से ₹ 15,625.57 करोड़ के बीच थी।

यह भी देखा गया कि लगभग सभी बचत मार्च 2024 में अभ्यर्पित की गयी जिससे वित्त विभाग को अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुन: आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा, जो बजट प्रबंधन में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरूद्ध बचत/आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

[1] *18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (₹ 1,502.78 करोड़), 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 2,277.03 करोड़), 22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) (₹ 1,324.46 करोड़), 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 2,069.96 करोड़), 39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) (₹ 1,708.79 करोड़) 42-ग्रामीण विकास विभाग (₹ 5,167.49 करोड़), 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) (₹ 3,042.49 करोड़), 55-ग्रामीण कार्य विभाग (₹ 1,999.10 करोड़), 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) (₹ 1,625.39 करोड़) एवं 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (₹ 1,669.30 करोड़)*

3.1.2 भारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2019-24) के दौरान भारित एवं दत्तमत में विभाजित कुल संवितरणों को **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: 2019-20 से 2023-24 के दौरान भारित एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01
2020-21	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02
2021-22	68,196.22	10,874.17	22,206.36	309.44
2022-23	79,345.60	13,637.94	24,134.06	500.14
2023-24	94,784.12	13,970.32	31,260.97	1,483.38

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान दत्तमत अनुभाग के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया गया तथा प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक बचत हुई।

3.1.3 बजट मार्कमैनशिप

कुल बजट परिणाम

अनुमोदन से कम और अनुमोदन से अधिक दोनों के संदर्भ में, कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिस हद तक कुल बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बी.ई.)	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं मूल अनुमोदित बजट* में अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	84,676.00	77,491.41	-7,184.59
पूँजीगत	31,742.00	31,263.03	-478.97
कुल	**1,16,418.00**	**1,08,754.44**	**-7,663.56**

**मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।*

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.48 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.51 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में

100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय अवयवों का परिणाम

व्यय अव्यव परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुन: आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट	पुनरीक्षित (आर.ई.)	वास्तविक परिणाम	बी.ई. एवं आर.ई. में अंतर	वास्तविक एवं आरई* में अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	84,676.00	1,03,313.56	77,491.41	18,637.56	-25,822.15
पूँजीगत	31,742.00	38,185.23	31,263.03	6,443.23	-6,922.20
कुल	**1,16,418.00**	**1,41,498.79**	**1,08,754.44**	**25,080.79**	**-32,744.35**

**संशोधित अनुमान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।*

राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 24.99 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच और नौ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 18.13 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 12 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 19 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय

प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किए जाने वाले व्यय को भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से राशि की निकासी नहीं होगी।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नए निवेश सहित पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था। 'सेवा का नया साधन' का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय।

पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य के खातों में कोई नई सेवा या सेवा का नया साधन नहीं देखा गया, जिसे पहले राज्य विधानसभा के ध्यान में नहीं लाया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चलता है कि एक विनियोग के अंतर्गत चार मामलों में व्यय बजट प्रावधान के बिना किया गया। वर्ष के दौरान बिना प्रावधान का कुल व्यय ₹ 2,450 करोड़ था। विस्तृत विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/ उप-शीर्षों की संख्या
14-ऋण की अदायगी	2,450.00	4
कुल	**2,450.00**	**4**

जैसा कि **तालिका 3.5** से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान के बिना ऋणों की अदायगी पर बहुत अधिक व्यय किया गया था। ऋणों की अदायगी पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय थे और राज्य से अपेक्षा थी कि वे आकलन तैयार करते समय वे ऐसे दायित्वों से भली-भाँति अवगत होंगे। हालाँकि, राज्य द्वारा इन व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए थे।

3.2.2 मुख्य शीर्ष-8443 के लघुशीर्ष-800 के अंतर्गत शेष राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघु शीर्ष- 800 में एक बड़ी राशि शेष रह जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 257.58 करोड़ शेष थी। 2023-24 में, इस शीर्ष के अंतर्गत जमा राशि ₹ 0.95 करोड़ (विविध प्राप्ति से संबंधित) थी और संवितरण ₹ 19.67 करोड़ था, जिससे वर्ष के अंत में शेष राशि ₹ 238.86 करोड़ हो गई।

झारखण्ड सरकार ने महालेखाकार (लेखा व हक.) के परामर्श से निर्देश (दिसंबर 2019) दिया था कि प्रमुख शीर्ष '8443-सिविल जमा' के लघु शीर्ष '106- व्यक्तिगत जमा खाते' के तहत जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों (जि.भू.अ.पदा.) के नाम पर 24 जिला कोषागारों में भूमि अधिग्रहण के क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान के लिए पीडी खाते खोले जाएं। इसके अलावा, जि.भू.अ.पदा. द्वारा लघु शीर्ष 800 के तहत पूर्व में बुक की गई राशि को इन पीडी खातों में स्थानांतरित किया जाना था। हालाँकि, यह राशि पूरी तरह से पीडी खातों में स्थानांतरित नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप मार्च 2024 तक लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत ₹ 238.86 करोड़ शेष रह गया।

3.2.3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 के अनुसार व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदानों में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 57 की टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जाने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, ₹ 25,081 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से, वर्ष के दौरान 57 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) में ₹ 13,499.10 करोड़ (53.82 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुआ था जो खराब बजटीय प्रबंधन को इंगित करता है।

3.2.4 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

'पुनर्विनियोजन' का अर्थ किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक इकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं, अभ्यर्पण आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यदि के सत्यापन के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेकपूर्ण तरीके से सात उप-शीर्षों के अंतर्गत (**परिशिष्ट 3.2**) अतिरिक्त

धनराशि प्रदान की गई, जो अत्यधिक साबित हुई। इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, बचत के बावजूद, ₹ 5.36 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.73 करोड़ की बचत हुई।

3.2.5 अव्यवहृत राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/ अभ्यर्पण

बढ़ा हुआ/अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन, बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृति को बढ़ावा देते हैं।

3.2.5.1 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

कुल बचत ₹ 32,744.35 करोड़ में से ₹ 31,578.05 करोड़ (96.44 प्रतिशत) की बचत 29 अनुदानों[2] में हुई, प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक (**परिशिष्ट 3.3**) की बचत हुई। इतनी बड़ी राशि के बचत का उचित कारण विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं बताया गया।

आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 15 अनुदानों तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत पाँच अनुदानों में बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था। संबंधित विभागों द्वारा ऐसी बचत के कारण नहीं बताए गए थे। औचित्य के बिना भारी बचत अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और विभागों में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक था। विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सात अनुदानों में 30 प्रतिशत से अधिक की बचत को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत या अधिक अनुपयोगी अनुदान/ विनियोजन

क्र. सं.	अनुदान	(प्रतिशत में)					वर्षों की संख्या*	बजट 2023-24 (₹ करोड़ में)
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
राजस्व								
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	39	65	23	61	48	4	2,316.62
2	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	50	57	48	31	7	4	907.51
3	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	65	65	73	49	68	5	854.00
4	42- ग्रामीण विकास विभाग	36	30	32	44	50	5	9,236.18
5	51- अनु. जनजाति, अनु.जा., अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनु. जनजाति, अनु. जा. एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	30	46	35	25	33	4	3,069.89

[2] *इनमें से, 14 अनुदान राजस्व से, 3 पूँजीगत से और 12 दोनों से संबंधित हैं।*

क्र. सं.	अनुदान	(प्रतिशत में)					वर्षों की संख्या*	बजट 2023-24 (₹ करोड़ में)
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
6	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	76	47	46	27	51	4	598.55
पूँजीगत								
1	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	87	58	30	41	90	5	89.32
2	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	98	89	83	64	19	4	163.02

**30 प्रतिशत या अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या*

उपर्युक्त अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लक्षित लाभुकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 60 के अंतर्गत 2023-24 को छोड़कर, 2019-24 की अवधि के दौरान बचत 64 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं, पुनर्वास केंद्रों के निर्माण कार्यों, कामकाजी महिला छात्रावासों, आँगनबाड़ी केंद्रों आदि के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई उचित कारण बताए वापस कर दिया गया था। इसी प्रकार, अनुदान संख्या 26 में पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत 2019-24 की अवधि के दौरान 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास, आईटीआई और संबद्ध भवनों के निर्माण, श्रम कार्यालयों के निर्माण आदि योजनाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई उचित कारण बताए वापस कर दिया गया था।

3.2.6 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण

राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह पाया गया कि ₹ 32,744.35 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 21,067.59 करोड़ (64.34 प्रतिशत) की राशि मार्च 2024 के अंत में अभ्यर्पित की गई, इससे सरकार के पास इस राशि को अन्य विकास योजनाओं पर उपयोग करने की कोई गुंजाईश नहीं बची, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2023-24 मे कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का संवितरण

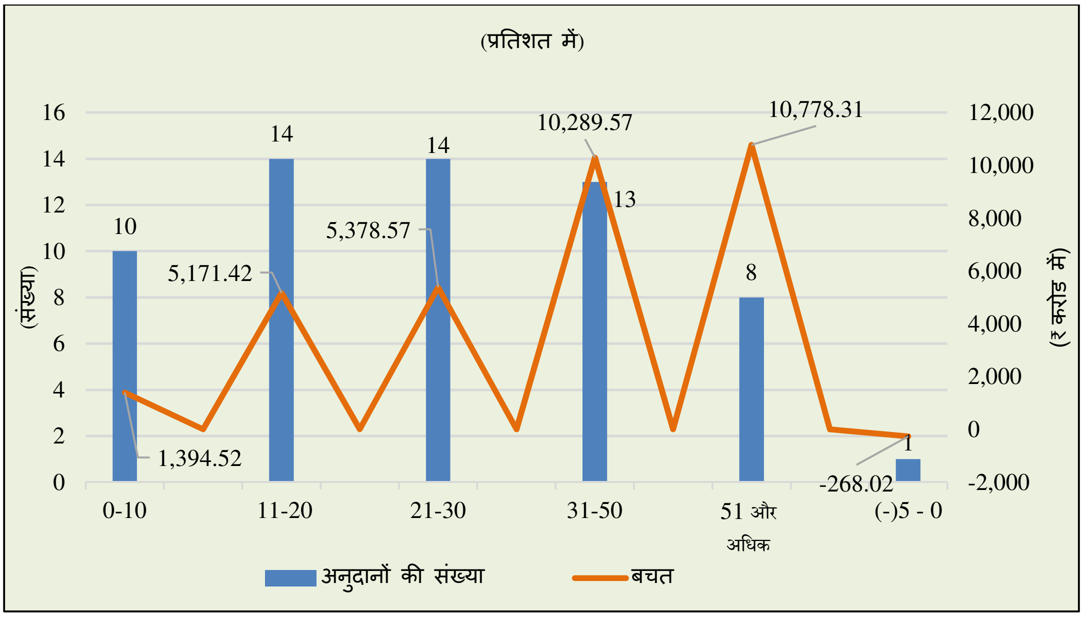

जैसा कि **चार्ट 3.2** में देखा जा सकता है, 28 अनुदानों की बचत 11 से 30 प्रतिशत के बीच थी, जबकि 21 अनुदानों की बचत चालू वर्ष में 30 प्रतिशत से अधिक थी जिसके तहत आठ अनुदानों की बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी। अनुदान संख्या 42- ग्रामीण विकास विभाग और 48- नगर विकास और आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) जो लोक कल्याण से संबंधित है, में भी क्रमशः 52 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की बचत हुई थी। इसके अलावा, **चार्ट 3.3** विगत पाँच वर्षों के दौरान का बजट आवंटन और इसके उपयोग के प्रतिशतता को दर्शाता है।

चार्ट 3.3: 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट उपयोगिता

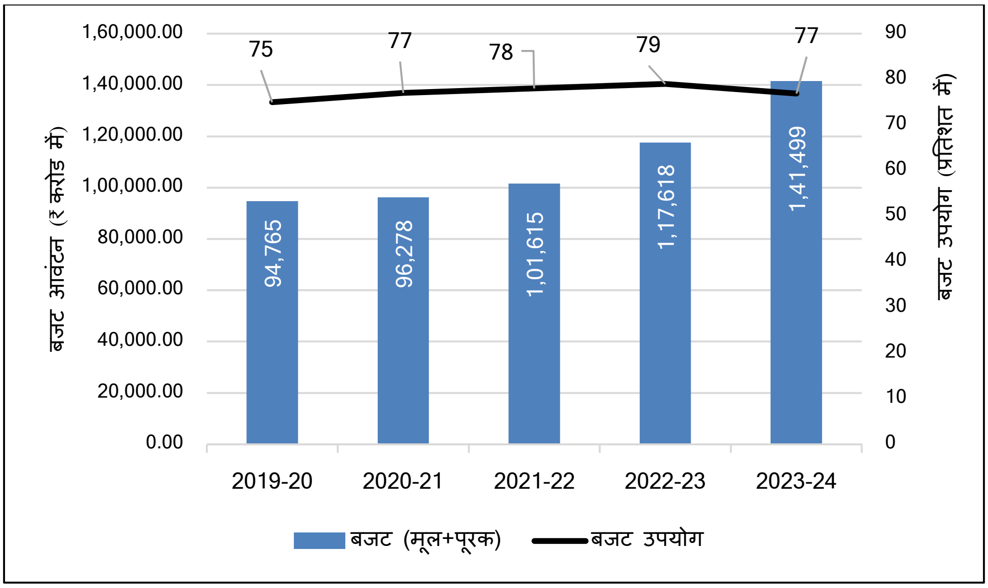

जैसा कि **चार्ट 3.3** से देखा जा सकता है कि 2019-20 में कुल बजट आवंटन ₹ 94,765 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,41,499 करोड़ हो गया। हालाँकि, विगत पाँच वर्षों के दौरान आवंटित राशि का उपयोग 75 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच रहा, जो दर्शाता है कि बजटीय प्रक्रिया अपूर्ण/अवास्तविक थी।

3.2.7 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु माँग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/ विनियोग को विनियमित किया जाए।

अनुदान से अधिक संवितरण को नियमित करने में विफलता संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

3.2.7.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान पर अतिरिक्त व्यय न केवल विधायी मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रावधानों के उल्लंघन है, बल्कि खराब योजना का भी संकेत है, जिसे इस उद्देश्य के लिए किए गए बजट प्रावधान के साथ व्यय प्रगति पर नज़र रखकर टाला जा सकता है।

जैसा कि विनियोग लेखे में देखा गया, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक विनियोग (15-पेंशन) में ₹ 268.02 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

3.2.7.2 विगत वित्त वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अवधि के लिए अनियमित शेष अतिरिक्त व्यय कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है। वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक से संबंधित 10 अनुदानों के ₹ 3,778.41 करोड़ की अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना बाकी है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022 23 के दौरान कुल आधिक्य व्यय में से तीन अनुदान/विनियोग, 13-ब्याज भुगतान, 14-ऋण की अदायगी और 15-पेंशन क्रमशः ₹ 889.27 करोड़ (23.54 प्रतिशत), ₹ 983.49 करोड़ (26.03 प्रतिशत) और ₹ 1,731.55 करोड़ (45.83 प्रतिशत) को नियमित किया जाना बाकी है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार प्रतिवेदित किए जाने के बाद भी, विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को नियमित नहीं किया गया है।

3.2.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जो एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में ₹ 8,549.30 करोड़ दिए गए थे। हालांकि, इस तरह के अनुदान के ₹ 4,433.60 करोड़ को राज्य के खातों में पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था, जो सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 बजट प्रक्षेपण तथा प्राक्कलन एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियाँ तथा लोक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। यथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, एक अच्छा व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/आंतरिक नियंत्रण, विभिन्न विकास संबंधी आवश्यकताओं पर निधि का इष्टतम उपयोग करते हैं।

तालिका 3.7: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान अभ्यर्पण
दत्तमत	राजस्व	77,120.26	17,370.50	94,490.76	69,905.10	24,585.66	सभी अभ्यर्पण मार्च माह में की गई थी।
	पूँजीगत	21,248.47	5,863.80	27,112.27	20,588.22	6,524.05	
	ऋण एवं अग्रिम	4,168.10	273.96	4,442.06	4,290.80	151.26	
	कुल	**1,02,536.83**	**23,508.26**	**1,26,045.09**	**94,784.12**	**31,260.97**	
भारित	राजस्व	7,555.74	1,267.06	8,822.80	7,586.31	1,236.49	
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	लोक ऋण-पुनर्भुगतान	6,325.43	305.47	6,630.90	6,384.01	246.89	
	कुल	**13,881.17**	**1,572.53**	**15,453.70**	**13,970.32**	**1,483.38**	
सकल योग		**1,16,418.00**	**25,080.79**	**1,41,498.79**	**1,08,754.44**	**32,744.35**	

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 3.7 से पता चलता है कि ₹ 1,41,498.79 करोड़ के कुल प्रावधान में से, ₹ 1,08,754.44 करोड़ की राशि राज्य विभागों द्वारा खर्च की गई और ₹ 32,744.35 करोड़ (23.14 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त रह गए। अप्रयुक्त राशि को मार्च माह में अभ्यर्पित कर दिया गया।

तालिका 3.8: 2019-24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	85,429.00	86,370.00	91,277.00	1,01,101.00	1,16,418.00
अनुपूरक बजट	9,335.64	9,908.07	10,309.19	16,516.72	25,080.79
कुल बजट	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72	1,41,498.79
पुनरीक्षित अनुमान	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72	1,41,498.79
वास्तविक व्यय	71,093.25	74,458.59	79,070.38	92,983.52	1,08,754.44
बचत	23,671.39	21,819.49	22,515.81	24,634.20	32,744.35
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	10.93	11.47	11.29	16.34	21.54
कुल प्रावधान से कुल बचत की प्रतिशतता	24.98	22.66	22.16	20.94	23.14
पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय	23,671.39	21,819.48	22,515.81	24,634.20	32,744.35
(पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	24.98	22.66	22.16	20.94	23.14

तालिका 3.8 से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 25,080.79 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 21.54 प्रतिशत था जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 16.34 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल प्रावधान से कुल बचत के प्रतिशत का उतार-चढ़ाव 20.94 प्रतिशत और 24.98 प्रतिशत के बीच रहा।

आगे, जैसा कि **तालिका 3.7 एवं 3.8** से स्पष्ट है, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान के एक वृहत हिस्से का उपयोग नहीं किया गया एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अभ्यर्पित किया गया। इन बचतों के लिए कोई उपयुक्त कारण भी दर्ज नहीं किये गए थे। ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से बहुत अधिक थी, जो अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत थे।

3.3.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। वहीं, कुछ योजनाएँ निधि के अभाव में अधूरी रह जाती है। कम व्यय के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों के मामले, जिससे बड़ी बचत होती है, **तालिका 3.9** में दिए गए हैं।

तालिका 3.9: बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अप्रयुक्त निधि
राजस्व						
1	42-ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60
4	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.24	1,442.18
5	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	8,996.69	7,382.24	1,614.45
6	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47
7	56-पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82
8	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	2,765.90	1,057.11	1,708.79
पूँजीगत						
9	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32
10	55-ग्रामीण कार्य विभाग	2,871.90	1,146.50	4,018.40	3,348.73	669.67
	कुल	**40,163.73**	**8,309.09**	**48,472.82**	**30,779.18**	**17,693.15**

कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

राज्य के विनियोग खातों की समीक्षा से पता चला कि कई योजनाओं के लिए आवंटित निधि में से लगातार बड़ी बचत हो रही थी। विगत तीन वर्षों में लगातार बड़ी बचत के कारण योजनाएँ पूरी नहीं हो सकी और अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इनमें से कुछ योजनाएँ **तालिका 3.10** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.10: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम/शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)							
1	2401-00-796-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	116.22	65.54	125.34	83.83	98.22	59.31
18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग							
2	3456-00-789-29-बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी वितरण की योजना	70.00	35.05	83.50	43.80	83.50	50.57
3	3456-00-796-29-बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी वितरण की योजना	255.00	120.21	456.25	306.25	306.25	195.89

क्र.सं.	योजना का नाम/शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग							
4	2210-01-796-39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)- सहायता अनुदान	640.34	435.47	228.80	65.02	429.00	167.92
5	2210-02-200-27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान	55.00	27.64	133.18	31.60	132.06	97.01
42- ग्रामीण विकास विभाग							
6	2501-06-789-05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य	290.00	68.57	279.57	66.35	259.27	109.38
7	2501-06-796-05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य	210.00	47.80	136.53	38.73	218.40	94.11
8	2505-01-702-02- इंदिरा आवास योजना - सामान्य	1,101.35	544.21	2,073.85	1,127.42	1,735.51	1,495.45
9	2505-01-789-02- इंदिरा आवास योजना - सामान्य	556.17	67.83	634.85	258.59	531.28	389.73
10	2505-01-796-02- इंदिरा आवास योजना - सामान्य	1,354.75	822.28	1,523.64	1,000.26	1,275.07	1,123.95
11	2505-02-101-04-समग्र ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	655.41	185.27	637.00	194.66	617.40	240.78
12	2505-02-789-04- समग्र ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	216.27	62.58	195.00	83.46	189.00	73.71
13	2505-02-796-04- समग्र ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	473.30	133.03	468.00	200.30	453.60	176.90

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी वितरण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सामान्य वर्ग के लिए इंदिरा आवास योजना आदि के तहत योजनाओं में भारी बचत हुई थी। इससे राज्य द्वारा अपनाई गई बजटीय प्रक्रिया की प्रभावशीलता के मुद्दे पर प्रकाश डालने के अलावा, इन योजनाओं के संभावित लाभार्थियों के उनके लाभ से वंचित होने का जोखिम भी उत्पन्न होता है।

3.3.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ

सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत पहल तथा बजट में सम्मिलित योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभुक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। विभागों द्वारा प्रावधानों का उपयोग न किये जाने का कारण नहीं बताया गया। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है जिनका उपयोग वे कर सकते थे। 408 मामलों में, 100 प्रतिशत प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक के प्रत्येक मामले) वाले ₹ 7,557.23 करोड़ की राशि

अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है।

3.4 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 बताता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह बनाए रखना अच्छे लोक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल होने के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल व्यय (₹ 1,08,754 करोड़) में से ₹ 20,794 करोड़ जो 19.12 प्रतिशत था, मार्च 2024 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान माह-वार प्राप्तियों एवं व्यय को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय

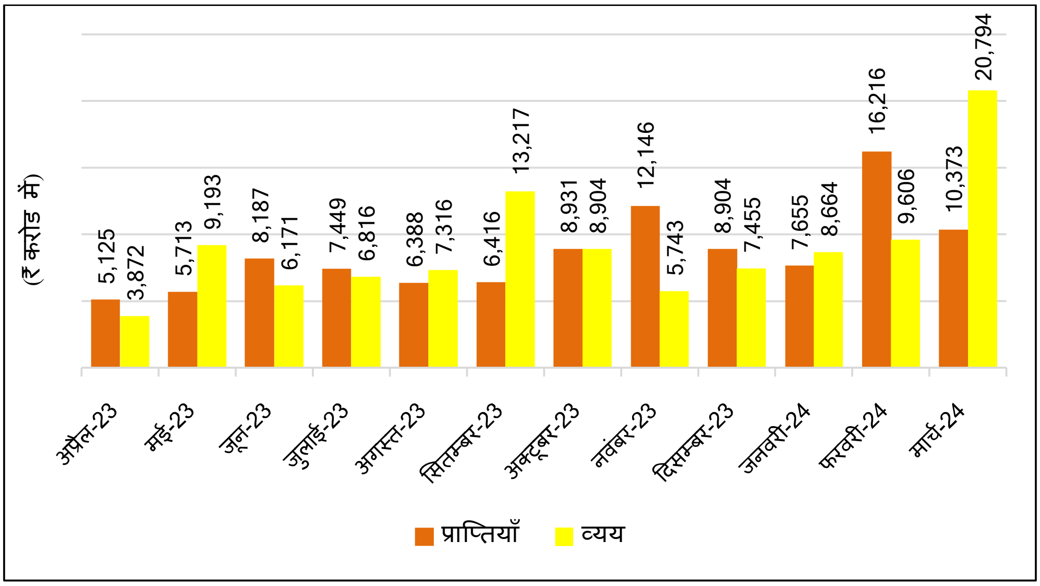

आगे, यह देखा गया कि 39 मुख्य शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 25,208.86 करोड़ में से, 50 प्रतिशत और उससे अधिक राशि ₹ 15,668.71 करोड़ (62.16 प्रतिशत) का व्यय, वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में बताया गया है। इसमें से, ₹ 8,603.74 करोड़ (इन मदों के तहत कुल व्यय का 34.13 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया था।

यह पाया गया कि मार्च 2024 में ए.सी. विपत्रों पर ₹ 13.32 करोड़ की निकासी की गई, जिसमें से ₹ 6.79 करोड़ की निकासी मुख्य रूप से गृह, कारा और

आपदा प्रबंधन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दो दिनों में की गयी थी। नियमित रिपोर्टिंग और राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के कारण वर्ष के दौरान ए.सी. विपत्रों के आहरण में उल्लेखनीय कमी आई।

3.5 अनुदान संख्या 19 - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.5.1 परिचय

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राज्य की वानिकी एवं पर्यावरण नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। इस विभाग का मुख्य कार्य राज्य के प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, वन्यजीव एवं जैव विविधता आदि के संरक्षण एवं विकास के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने के उपाय करना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग का बजट प्रावधान, व्यय एवं बचत का विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	15.00	1,147.71	1,162.71
अनुपूरक अनुदान	20.00	637.49	657.49
कुल अनुदान	**35.00**	**1,785.20**	**1,820.20**
व्यय	32.72	1,127.83	1,160.55
बचत	2.28	657.37	659.65
अभ्यर्पण	0.00	584.09	584.09
व्यपगत	2.28	73.28	75.56

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

3.5.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभागीय सचिवालय तथा 15 इकाईयां[3] को बजटीय प्रक्रिया की लेखापरीक्षा हेतु सात[4] चयनित जिलों में शामिल किया गया।

---

[3] *(i) प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (प्र.व.प.), लातेहार (ii) प्र.व.प., पलामू (iii) प्र.व.प., जमशेदपुर (iv) प्र.व.प., गुमला (v) प्र.व.प., दुमका (vi) प्र.व.प., गिरिडीह पूर्व (vii) प्र.व.प., गिरिडीह पश्चिम (viii) प्र.व.प., राँची (ix) प्र.व.प., सामाजिक वानिकी, लातेहार (x) प्र.व.प., सामाजिक वानिकी, दुमका (xi) प्र.व.प., सामाजिक वानिकी, राँची (xii) प्र.व.प., बफर एरिया टाइगर प्रोजेक्ट पलामू (xiii) प्र.व.प., कोर एरिया टाइगर प्रोजेक्ट पलामू (xiv) उप वनसंरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर, (xv) प्र.व.प., विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर) दुमका*

[4] *(i) लातेहार (ii) पलामू (iii) पूर्वी सिंहभूम (iv) गुमला (v) दुमका (vi) गिरिडीह (vii) राँची*

लेखापरीक्षा परिणाम

3.5.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान विभाग के बजट तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा में पाया गया कि उन वर्षों में विभाग के पास सतत बचत था और बजट प्राक्कलन की तुलना में बचत का प्रतिशत सभी वर्षों में बहुत अधिक था, जैसा कि **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
2020-21	राजस्व	875.10	134.48	1,009.58	725.80	283.78	28.11
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल	**875.10**	**134.48**	**1,009.58**	**725.80**	**283.78**	
2021-22	राजस्व	869.21	139.27	1,008.48	742.18	266.30	26.41
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल	**869.21**	**139.27**	**1,008.48**	**742.18**	**266.30**	
2022-23	राजस्व	1,019.95	245.42	1,265.37	1,024.81	240.56	19.01
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल	**1,019.95**	**245.42**	**1,265.37**	**1,024.81**	**240.56**	
2023-24	राजस्व	1,147.70	637.49	1,785.20	1,127.83	657.36	36.24
	पूँजीगत	15.00	20.00	35.00	32.72	2.28	
	कुल	**1,162.70**	**657.49**	**1,820.20**	**1,160.55**	**659.64**	

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-24

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान विभाग के पास 19.01 और 36.24 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी, जो न केवल निधि के उपयोग करने में विभाग की अक्षमता का सूचक था, बल्कि विधायिका द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं के पूरा नहीं होने का भी परिणाम था।

3.5.4 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 में कहा गया है कि व्यय की नई विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदान में संभावित अधिकता को कवर करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। ब.नि. के नियम 57 के नीचे की टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग ने 10 शीर्षों के अंतर्गत ₹ 389.10 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल ₹ 278.92 करोड़ का उपयोग किया, जिससे ₹ 110.18 करोड़ की बचत हुई। मूल प्रावधानों का उपयोग न किए जाने के

बावजूद ब.नि. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पूरक बजट के माध्यम से उन योजनाओं को ₹ 83.85 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। विवरण **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.13: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	मूल प्रावधान से व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	2406-01-004-02	5.34	4.23	0.47
2	2406-01-101-01	148.93	125.56	1.66
3	2406-01-101-02	6.54	4.97	0.06
4	2406-01-101-06	27.64	21.33	0.05
5	2406-01-101-60	20.00	17.39	1.50
6	2406-02-110-01	19.67	18.33	0.07
7	2406-04-103-02	95.59	49.19	30.82
8	2406-04-103-04	48.00	32.56	37.17
9	2406-04-103-06	7.49	0.40	5.79
10	2406-04-103-07	9.90	4.96	6.26
कुल		**389.10**	**278.92**	**83.85**

स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24

3.5.5 संपूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा आठ उप-शीर्षों के अंतर्गत किए गए ₹ 16.10 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था और संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1.	2406-01-101-56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई	0.10	0.10
2.	2406-01-101-72- झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड योजना	4.00	4.00
3.	2406-02-110-03- हाथी परियोजना (केंद्रीय योजना)	2.40	2.40
4.	2406-02-110-03- हाथी परियोजना (राज्य योजना)	1.60	1.60
5.	2406-02-110-08- पलामू बाघ परियोजना के अंतर्गत अनावर्ती व्यय (केंद्रीय योजना)	2.40	2.40
6.	2406-02-110-08- पलामू बाघ परियोजना के अंतर्गत अनावर्ती व्यय (राज्य योजना)	1.60	1.60
7.	2406-02-110-21- पलामू बाघ परियोजना (केंद्रीय योजना)	2.00	2.00
8.	2406-02-110-21- पलामू बाघ परियोजना (राज्य योजना)	2.00	2.00
कुल		**16.10**	**16.10**

स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24

3.5.6 वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में निधियों का अभ्यर्पण

ब.नि. के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित

नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, तो नियंत्रक अधिकारी को सावधानीपूर्वक उस राशि का अनुमान लगाना चाहिए जिसे वह अभ्यर्पित कर सकता है।

विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में विभाग द्वारा ₹ 1,820.20 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 35.00 करोड़ एवं राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 1,785.20 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 657.36 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत) अभ्यर्पित कर दिया गया था।

इसके अलावा, नमूना-जाँच किए गए जिलों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में ₹ 9.28 करोड़ अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है। व्यय की प्रत्याशा और निधियों का विलंब से आवंटन आदि निधियों के अभ्यर्पण में विलंब का कारण था।

वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अभ्यर्पित करने से सरकार को अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर निधियों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, जो निधियों की कमी के कारण अधूरी रह सकती है।

3.5.7 व्यय का वेग

ब.नि. के नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, व्यय के वेग को सामान्यत: वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय ₹ 1,160.55 करोड़ में से, ₹ 638.79 करोड़ (55 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए प्रमंडलों/डीडीओ में मार्च माह में व्यय 15.48 से 58.11 प्रतिशत के बीच था, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में वर्णित है।

3.5.8 अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण नहीं होना

जाँच से पता चला कि, राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 657.36 करोड़ की बचत में से, ₹ 584.09 करोड़ को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि ₹ 73.27 करोड़ व्यपगत हो गई थी। अनुमानित बचत (₹ 73.27 करोड़) का समय पर अभ्यर्पण नहीं करना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध था।

3.5.9 ₹ 11 लाख के बजट प्रावधान का अनुपयोग और अभ्यर्पण

बजट नियमों के नियम 57 के नीचे दिए गए टिप्पणी के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान पाया गया कि प्रमंडल को विभिन्न स्थायी नर्सरियों के रख-रखाव एवं स्थायी नर्सरियों के आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु ₹ 75,45,928 की राशि प्राप्त (20.12.2023) हुई थी। आगे, यह भी पाया गया कि ₹ 75,45,928 में से चार स्थायी नर्सरियों के रखरखाव के लिए ₹ 44,01,570 का प्रावधान किया गया था।

यद्यपि, यह भी पाया गया कि प्रमंडल में केवल तीन स्थायी नर्सरियाँ थी, जिसके लिए प्रमंडल द्वारा ₹ 33,01,176 (प्रत्येक ₹ 11,00,393) का प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा गया था। 2023-24 के दौरान स्थायी तीन नर्सरियों पर ₹ 33,01,176 का व्यय किया गया तथा ₹ 11,00,393 वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गया। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 के दौरान चार स्थायी नर्सरियों के लिए आवंटन के रूप में प्राप्त राशि ₹ 10,48,516 व्यपगत हो गई।

3.5.10 बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 0.94 करोड़ का अधिक व्यय

वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे की जाँच के दौरान पाया गया कि अनुदान संख्या 19 के शीर्ष 2406-01-070-01- सड़क एवं पुल के अंतर्गत ₹ 26.91 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹ 27.85 करोड़ का व्यय किया गया है। अतः बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 0.94 करोड़ का अधिक व्यय किया गया है, जिसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

3.6 अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया

3.6.1 परिचय

नगर विकास एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है तथा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग को सहायता प्रदान करता है, साथ ही शहर और उसके बाहरी क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी साझा करता है। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में बारहवीं अनुसूची को शामिल करने से विभिन्न शहरी गतिविधियों और सेवाओं जैसे कि शहरी नियोजन सहित नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना आदि शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में आ गए हैं।

इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों के लिए संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नागरिकों और शहर की जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करना अपरिहार्य है। झारखण्ड राज्य में 50 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें नौ नगर निगम, 18 नगर परिषद, 22 नगर पंचायत और एक अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी)

शामिल हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में शहरी विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग को ₹ 4,910.33 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया। बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 1,867.84 करोड़ (38 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई, जिससे कुल ₹ 3,042.49 करोड़ (62 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, कुल ₹ 3,042.49 करोड़ की बचत में से ₹ 2,977.63 करोड़ अभ्यर्पित कर दिया गया तथा शेष ₹ 64.86 करोड़ को वर्ष 2023-24 के दौरान व्यपगत होने दिया गया। बजट एवं उसके उपयोग का विवरण **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दत्तमत पूँजीगत	दत्तमत राजस्व	कुल
मूल अनुदान	852.98	2,452.61	3,305.59
अनुपूरक अनुदान	6.65	1,598.09	1,604.74
कुल अनुदान	**859.63**	**4,050.70**	**4,910.33**
व्यय	611.61	1,256.23	1,867.84
बचत	248.02	2,794.47	3,042.49
अभ्यर्पण	247.94	2,729.69	2,977.63
व्यपगत	0.08	64.78	64.86

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

₹ 3,042.49 करोड़ (राजस्व: ₹ 2,794.47 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 248.02 करोड़) के अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 1,604.74 करोड़ (राजस्व: ₹ 1,598.09 और पूँजीगत: ₹ 6.65 करोड़) का अनुपूरक अनुदान पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुआ और जहां आवश्यक था, उसे सांकेतिक राशि तक सीमित किया जा सकता था।

3.6.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) का सचिवालय, एक[5] निदेशालय एवं 11 इकाईयाँ[6] को लेखापरीक्षा हेतु छह[7] चयनित जिलों में शामिल किया गया।

5 निदेशालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा)

6 (i) झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कंपनी (जुड़को) लिमिटेड;
(ii) नगर निगम (न.नि.), देवघर (iii) न.नि., धनबाद (iv) न.नि., राँची;
(v) नगर परिषद् (न.परि.), चिरकुंडा (vi) न.परि., दुमका (vii) न.परि., जुगसलाई;
(viii) नगर पंचायत, बासुकीनाथ (ix) नगर पंचायत, हरिहरगंज;
(x) अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर तथा (xi) नगर आयुक्त का कार्यालय, मानगो

7 (i) देवघर (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) जमशेदपुर (v) पलामू (vi) राँची

लेखापरीक्षा परिणाम

3.6.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान बजट और व्यय की प्रवृत्तियों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि इन वर्षों में विभाग के पास सतत बचत था और बजट अनुमानों की तुलना में बचत का प्रतिशत बहुत अधिक रहा, जैसा कि **तालिका 3.16** में दिया गया है।

तालिका 3.16: नगर विकास और आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) में विगत चार वर्षों के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2020-21	राजस्व	2,505.74	632.23	3,137.97	2,882.59	255.38	8
	पूँजीगत	37.00	0.00	37.00	22.91	14.09	
	कुल	**2,542.74**	**632.23**	**3,174.97**	**2,905.50**	**269.47**	
2021-22	राजस्व	2,796.13	158.24	2,954.37	2,440.19	514.18	18
	पूँजीगत	23.65	0.00	23.65	16.27	7.38	
	कुल	**2,819.78**	**158.24**	**2,978.02**	**2,456.46**	**521.56**	
2022-23	राजस्व	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41	31
	पूँजीगत	967.42	0.00	967.42	723.79	243.63	
	कुल	**3,043.53**	**884.52**	**3,928.05**	**2,693.01**	**1,235.04**	
2023-24	राजस्व	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	62
	पूँजीगत	852.98	6.65	859.63	611.61	248.02	
	कुल	**3,305.59**	**1,604.74**	**4,910.33**	**1,867.84**	**3,042.49**	

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-24

जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, विभाग के पास 2020-21 से 2023-24 के दौरान आठ से 62 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी, जो न केवल विभाग की निधि का उपयोग करने में असमर्थता का संकेत था, बल्कि वर्ष के दौरान बजट में शामिल योजनाओं को पूरा न होने को भी दर्शाता है।

3.6.4 बजट अनुमानों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के लिए सही और ससमय बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने स्थापना व्यय और सामान्य बजट के अनुमान प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियों को बजट नियमावली में निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर के विरुद्ध संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात क्रमशः 15 दिसंबर 2022 और 06 जनवरी 2023 संशोधित (नवंबर 2022) किया।

यह देखा गया कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब.अनु.) ससमय अर्थात 14 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि सामान्य बजट के लिए ब.अनु. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के विरूद्ध 36 दिनों की देरी से

11 फरवरी 2023 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया था। विवरण **तालिका 3.17** में दिया गया है।

तालिका 3.17: बजट अनुमान प्रस्तुत करने का विवरण

क्र.सं.	बजट अनुमान	ब.अनु. जमा करने की निर्धारित तिथि	विभाग द्वारा अ.अनु अपलोड करने की तिथि	अ.अनु प्रस्तुत करने में विलंब
1	स्थापना व्यय	15.12.2022	14.12.2022	कोई विलंब नहीं
2	सामान्य बजट	06.01.2023	11.02.2023	36 दिन

3.6.5 आवश्यकताओं को प्राप्त किये बिना बजट अनुमान तैयार करना

ब.नि. के नियम 65 के अनुसार, नियंत्री अधिकारी (नि.अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं.अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्यौरे/ स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि ब.नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और स्थापना व्यय और सामान्य बजट (राज्य, केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ) के लिए अनुमान बिना फील्ड डीडीओ से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किए बिना विभागीय स्तर पर तैयार किए गए थे, जो अंततः विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फील्ड डीडीओ से आवश्यकताएँ प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 4,910.33 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 3,042.49 करोड़ (62 प्रतिशत) की भारी बचत का एक कारण हो सकता है।

3.6.6 राजस्व प्राक्कलन का अप्रस्तुतीकरण

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राजस्व का प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर 2022 से 06 जनवरी 2023 संशोधित किया गया था। हालाँकि, विभाग द्वारा राजस्व का कोई भी प्राक्कलन तैयार करके प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.6.7 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 के अनुसार, व्यय की नई विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्यों को कवर करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से पूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ब.नि. के नियम 57 के नीचे की टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 115 योजनाओं में से 28 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 107.63 करोड़ के मूल प्रावधान में से, विभाग ने केवल ₹ 100.55 करोड़ का उपयोग किया था, जिससे ₹ 7.08 करोड़ की बचत हुई थी। मूल प्रावधानों के उपयोग न होने के बावजूद, ब.नि. के प्रावधानों के विरूद्ध अनुपूरक बजट के माध्यम से उन योजनाओं को ₹ 1,250.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी। विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

3.6.8 बचत के अभ्यर्पण न होने के कारण व्यपगत राशि

ब.नि. के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 311.04 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 230.15 करोड़ (74 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई, जिससे कुल ₹ 80.89 करोड़ (26 प्रतिशत) की बचत हुई, जिसमें से ₹ 16.03 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई तथा शेष ₹ 64.86 करोड़ को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया, जैसा कि **तालिका 3.18** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: बचत के अभ्यर्पण न होने के कारण व्यपगत राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्यपगत
1	2217-03-191-01	74.81	33.68	108.49	74.81	33.68	0.0	33.68
2	2217-80-191-34	77.00	0.00	77.00	76.63	0.37	0.00	0.37
3	2217-80-191-36	6.00	0.00	6.00	3.16	2.84	2.53	0.31
4	2217-80-191-40	13.72	0.74	14.46	12.65	1.81	1.68	0.13
5	2217-80-191-93	2.00	0.00	2.00	1.92	0.08	0.04	0.04
6	2217-80-191-A1	2.50	0.00	2.50	0.18	2.32	2.28	0.04
7	2217-80-192-40	6.20	0.42	6.62	4.21	2.41	2.38	0.03
8	2217-80-789-33	12.00	0.00	12.00	9.01	2.99	2.89	0.10
9	2217-80-789-34	19.00	0.00	19.00	18.92	0.08	0.00	0.08
10	2217-80-796-89	60.00	0.00	60.00	26.64	33.36	3.36	30.00
11	6217-60-193-03	2.01	0.96	2.97	2.02	0.95	0.87	0.08
कुल		**275.24**	**35.80**	**311.04**	**230.15**	**80.89**	**16.03**	**64.86**

अनुमानित बचत (₹ 64.86 करोड़) का अभ्यर्पण नहीं करना बजट नियमावली के नियम 112 के विरूद्ध था।

3.6.9 सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना

ब.नि. के नियम 57 के नीचे दी गई टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग द्वारा भेजे गए अनुमानों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 22 उप-शीर्षों के तहत ₹ 656.70 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। हालाँकि, सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया और अभ्यर्पित/पुनार्वियोग कर दिया गया था। आगे यह पाया गया कि ₹ 656.70 करोड़ में से, ₹ 335 करोड़ (अमृत के तहत ₹ 200 करोड़ तथा 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत ₹ 135 करोड़) का बजट प्रावधान केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रह गया, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए प्रदान किये गए ₹ 135 करोड़ को बिना कोई विशेष कारण बताये अभ्यर्पित कर दिया गया। अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंत में किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में वर्णित है।

3.6.10 व्यय का वेग

ब.नि. का नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

यह देखा गया कि ₹ 1,867.84 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 824.88 करोड़ (44 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया था। जाँच से आगे पता चला कि है कि, 115 उप-शीर्षों में से 31 में, मार्च माह में व्यय वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ 767.92 करोड़) का 30 से 100 प्रतिशत के बीच रहा। आगे, नमूना-जाँच किए गए डीडीओ में पाया गया कि मार्च माह में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय 36 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.13** में दर्शाया गया है।

3.6.11 सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार, नगर स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अपने स्थायी कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए स्वीकृत ऋण राशि की निकासी की तिथि से पाँच वर्ष बाद 20 समान किस्तों में चुकाया जाएगा। स्वीकृत ऋण पर ब्याज 13 प्रतिशत की दर से राशि की निकासी के एक वर्ष पश्चात समय-समय पर सरकार को देय होगा।

वित्त लेखों की जाँच से पता चला कि यूएलबी ने मुख्य शीर्ष 6217 के तहत अपने स्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किए गए ₹ 453.08 करोड़ चुकाया नहीं गया था। आगे, यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक ₹ 104.36 करोड़ (मूलधन ₹ 19.67 करोड़ तथा ब्याज ₹ 84.69 करोड़) चुकाना बाकी था।

3.6.12 व्यक्तिगत बही खातों की लेखापरीक्षा

3.6.12.1 अप्रयुक्त एवं व्यक्तिगत बही खातों में निधि का अवरूद्ध रहना- ₹ 1,902.05 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) के नियम 174 के अनुसार, माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। आगे, झा.को.सं. के नियम 334 के अनुसार, जमा प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेगा। दो लगातार वित्त वर्षों के बाद अव्यवहृत धनराशि को आगे व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथा शेष राशि को व्यय में कटौती के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष, जिससे धनराशि की निकासी की गई थी, में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

नमूना-जाँच किए गए इकाईयों के दौरान, यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खातों (8448-स्थानीय निधि जमा) में ₹ 1,902.05 करोड़ की राशि अवरूद्ध था, जैसा कि **तालिका 3.19** में दिखाया गया है।

तालिका 3.19: 31 मार्च 2024 तक पीएल खातों में धनराशि का अवरूद्ध रहना

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अभिकरण/कार्यालय का नाम	दिनांक 31.03.24 को रखी हुई राशि	तीन वर्षों से अधिक समय तक अव्यव्हृत राशि
1	जुडको, राँची	1,187.40	214.38
2	राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा)	3.04	उपलब्ध नहीं
3	राँची नगर निगम	268.08	79.31
4	धनबाद नगर निगम	276.67	71.62
5	चिरकुंडा नगर परिषद्, धनबाद	8.14	1.63
6	हरिहरगंज नगर पंचायत, पलामू	2.27	उपलब्ध नहीं
7	जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर	4.63	0.32
8	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी), जमशेदपुर	69.29	9.90
9	मानगो नगर निगम, जमशेदपुर	42.17	7.16
10	देवघर नगर निगम	24.53	2.48
11	नगर परिषद, दुमका	10.10	उपलब्ध नहीं
12	नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका	5.73	उपलब्ध नहीं
कुल		**1,902.05**	**386.80**

आगे, नमूना-जाँच किए गए इकाईयों में 67 योजनाओं के परीक्षण में पाया गया कि 01 अप्रैल 2021 तक इन योजानाओं में प्रारंभिक शेष ₹ 365.07 करोड़ 01 अप्रैल 2024 तक अप्रयुक्त पड़ा था, जो संहिता प्रावधानों के विरुद्ध है। नमूना-जाँच किए गए योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.14** में दिया गया है।

3.6.12.2 पी.एल. खातों के अंत शेष का मिलान प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के आँकड़ों से नहीं होना

झा.को.सं. के नियम 353 के अनुसार, कोषागार पदाधिकारी को अपने मासिक खातों के साथ सभी जमाओं और स्थानीय निधियों के लिए प्लस एवं माइनस ज्ञापन तैयार कर प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को भेजना चाहिए। उसकी पुस्तकों में वास्तविक क्रेडिट और वास्तविक डेबिट तथा प्रधान महालेखाकार द्वारा सूचित किए गए किसी भी क्रेडिट या डेबिट को उचित कॉलम में ही दर्ज किया जाना चाहिए, और फिर पिछले महीने के ज्ञापन में दिखाए गए अंत शेष को प्रारंभिक शेष के रूप में आगे ले जाना चाहिए और उसके बाद महीने का अंत शेष निकाला जाना चाहिए। यह सब स्वतंत्र रूप से और निधियों के प्रशासकों के संदर्भ के बिना किया जाना चाहिए। महालेखाकार को ज्ञापन प्रस्तुत करने से पहले, पासबुक के आँकड़ों के साथ सत्यापन किया जाना चाहिए और ज्ञापन के मुख्य भाग पर उस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। यदि इस सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उन्हें मिलान के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए और ज्ञापन पर एक टिप्पण बनाना चाहिए कि कैसे मिलान की गई है या इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

चयनित इकाइयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इकाईयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को, अंत शेष ₹ 1,902.05 करोड़ था जबकि प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के पास उपलब्ध आँकड़ों (प्लस एवं माइनस ज्ञापन) के अनुसार अंत शेष ₹ 1,344.92 करोड़ था। इस प्रकार, इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अंत शेष और कोषागारों द्वारा प्रधान महालेखार (ले. एवं हक.) कार्यालय को उपलब्ध कराए गए अंत शेष के बीच ₹ 557.13 करोड़ का अंतर था। विवरण **तालिका 3.20** में दिया गया है।

तालिका 3.20: 31 मार्च 2024 को पी.एल. खातों के अंत शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	कार्यालय/इकाईयों का नाम	अंत शेष (सी.बी.)		
		इकाईयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	कोषागारों द्वारा प्र. म. (ले. एवं हक.) कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार	अंत शेष में अंतर
1	जुडको, राँची	1,187.40	561.66	625.74
2	राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा)	3.04	9.64	(-) 6.60
3	राँची नगर निगम	268.08	326.93	(-) 58.85
4	धनबाद नगर निगम	276.67	271.86	4.81
5	चिरकुंडा नगर परिषद्, धनबाद	8.14	16.14	(-) 8.00
6	हरिहरगंज नगर पंचायत, पलामू	2.27	2.29	(-) 0.02
7	जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर	4.63	0.03	4.60
8	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी), जमशेदपुर	69.29	75.56	(-) 6.27

क्र.स.	कार्यालय/इकाईयों का नाम	अंत शेष (सी.बी.)		
		इकाईयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	कोषागारों द्वारा प्र. म. (ले. एवं हक.) कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार	अंत शेष में अंतर
9	मानगो नगर निगम, जमशेदपुर	42.17	41.97	0.20
10	देवघर नगर निगम	24.53	22.86	1.67
11	नगर परिषद, दुमका	10.10	9.92	0.18
12	नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका	5.73	6.06	(-) 0.33
कुल		**1,902.05**	**1,344.92**	**557.13**

स्रोत: प्र. म. ले. (ले. एवं हक.) कार्यालय के पास उपलब्ध प्लस एवं माइनस ज्ञापन तथा नमूना-जाँच किए गए इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराए गए पी.एल. खाता विवरणी।

3.6.13 एकल नोडल खाता/बैंक खाता में शेष राशि ₹ 596.52 करोड़

विनियोग अधिनियम के अनुसार, कोषागार से निकाली गई धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर ही किया जाना चाहिए।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के अभिलेखों के नमूना-जाँच के दौरान, यह पाया गया कि मार्च 2024 तक ₹ 554.37 करोड़ (स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत ₹ 231.18 करोड़ और कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत के अंतर्गत ₹ 323.19 करोड़) एकल नोडल खाता (एसएनए) में शेष था। विवरण **तालिका 3.21** में दिया गया है।

तालिका 3.21: एसएनए में शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	योजना का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि
1	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	231.18
2	कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)	323.19
कुल		**554.37**

यह देखा गया कि ₹ 321.00 करोड़ सहित अमृत के अंतर्गत शेष को सुडा द्वारा नवंबर 2021 में एसएनए को हस्तानांतरित किया गया और उस पर लगाया गया ब्याज शामिल है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि मार्च 2024 तक नमामि गंगे के तहत ₹ 42.15 करोड़ (राज्यांश) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बचत बैंक खाता (380302010161313) में शेष था, जिसमें ₹ 25.35 करोड़ 2016-17 से 2020-21 से संबंधित है।

इस प्रकार, एसएनए और बचत बैंक खाता में भारी शेष जिसमें तीन वर्ष से अधिक समय के पहले प्राप्त राशि भी शामिल था, परिणामस्वरूप निधि अवरूद्ध रही।

3.6.14 अंत शेष में विसंगति

वित्त विभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी निर्देशों (06.11.2019) के अनुसार रोकड़ बही शेष का मिलान प्रत्येक माह बैंक शेष से करना चाहिए। किसी भी अंतर के मामले में, बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाना चाहिए ताकि अंतर के कारणों का पता लगाया जा सके। बैंक खाते में बिना उपयोग के पायी गई कोई भी अतिरिक्त राशि यथाशीघ्र कोषागार/निधि प्रदाता को प्रेषित कर देना चाहिए।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के अभिलेखों की नमूना-जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक, बैंक विवरणी के अनुसार अंत शेष ₹ 554.37 करोड़ था जबकि रोकड़ बही के अनुसार अंत शेष ₹ 535.03 करोड़ था। ₹ 19.34 करोड़ का अंतर, जैसा कि **तालिका 3.22** में दर्शाया गया है, का मिलान (नवबंर 2024) नहीं किया गया।

तालिका 3.22: अंत शेष में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि	कैश बुक के अनुसार शेष राशि	अंतर
1	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	231.18	214.44	16.74
2	कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)	323.19	320.59	2.60
कुल		**554.37**	**535.03**	**19.34**

स्रोत: बैंक विवरणी एवं सुडा द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही।

3.7 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ₹ 32,744.35 करोड़ की बचत में से 10 अनुदानों के तहत ₹ 22,386.79 करोड़ की बचत हुई है, जिसके कारणों को विनियोग लेखों में उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, विगत चार वर्षों के दौरान, इन अनुदानों में कुल बचत सतत ₹ 11,975.09 करोड़ से ₹ 15,625.57 करोड़ तक रही।

वर्ष के दौरान, 57 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में कुल ₹ 13,499.10 करोड़ (53.82 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक के 10 अनुदानों से संबंधित अनुदान/ विनियोग पर अतिरिक्त संवितरण, ₹ 3,778.41 करोड़ की राशि को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित किया जाना था। आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक विनियोग (15- पेंशन) में ₹ 268.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विकास (नगर विकास प्रभाग) ने बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं

किया, जिसके कारण विभाग में बजटीय नियंत्रण की कमी हुई, परिणामस्वरूप बड़ी बचत; वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय में अधिकता इत्यादि रहा।

3.8 अनुशंसाएँ

- *राज्य सरकार बजटीय अनुमानों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित कर सकती है, साथ हीं आवंटित धन के अनुपयोग को कम करने के लिए एक कुशल नियंत्रण तंत्र भी स्थापित कर सकती है।*
- *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि व्यय विधानमंडल द्वारा अधिकृत राशि से अधिक न हो। विगत वर्षों के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।*
- *वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) आवंटित निधि के अनुपयोग की घटनाओं को कम करने और प्रत्याशित बचत की पहचान एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए बजट प्रबंधन को लागू करने के लिए उचित तंत्र स्थापित कर सकते हैं।*